HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3337/2026

1. Bhomprakash S/o Shriram, Aged About 21 Years, Resident Of Ward No.1, Dhanka Mohalla Suratgarh, District Sri Ganganagar Raj.. (Lodged In Central Jail, Sriganganagar)
2. Rajendra Kumar S/o Shriram, Aged About 29 Years, Resident Of Ward No.1, Dhanka Mohalla Suratgarh, District Sri Ganganagar Raj. (Lodged In Central Jail, Sriganganagar)
3. Manoj Kumar S/o Surendra Singh, Aged About 19 Years, Resident Of 10 Z, Tehsil And District Sri Ganganagar Raj.. (Lodged In Central Jail, Sriganganagar)
4. Mukesh Kumar S/o Surendra Giri, Aged About 18 Years, Resident Of Suratgarh, District Sri Ganganagar Raj. (Lodged In Central Jail, Sriganganagar)
5. Lakhvir Singh @ Lucky S/o Kaka Singh, Aged About 20 Years, Resident Of Suratgarh, District Sri Ganganagar Raj. (Lodged In Central Jail, Sriganganagar)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amit Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Aashish Jakhar Mr. Mayank Choudhary

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– **सूरतगढ़, जिला–गंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

74/2026 अपराध अन्तर्गत धारा **109(1), 115(2), 126(2), 191(2), 193(3) व 190 भारतीय न्याय संहिता** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि उसे इस प्रकरण में धारा 109(1), 115(2), 126(2), 191(2), 193(3) व 190 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में आहतगण को जो चोटें कारित हुई है, वे कुन्दालय से कारित होकर साधारण प्रकृति की है, कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है और न ही गंभीर प्रकृति की है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक व परिवादी अधिवक्तागण द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा परस्पर सम्मिलित होते हुए आपराधिक आशय से आहतगण सतवीर, महेश कुमार, राकेश कुमार, अनिल भार्गव एवं पुष्पेंद्र के साथ मारपीट की गई है और उक्त मारपीट के फलस्वरूप सतवीर के सिर पर चोट आई है और High Parietal Scalp Region में सूजन आने का उल्लेख है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकार से अधिवक्तागण से जो अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने जमानत आदेश के अंतर्गत आहतगण को कारित चोटों का विस्तार से उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार किसी भी आहतगण को चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं पाई गई है। आहत सतवीर के सिर का जो सीटी स्केन हुआ है, उसमें High Parietal Scalp Region में सूजन आना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय

प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त 1. **भोमप्रकाश पुत्र श्रीराम, 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीराम, 3. मनोज कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह, 4. मुकेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र गिरी, 5. लखवीर सिंह उर्फ लक्खी पुत्र काकासिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

98-Yogeshwar Sharma/-